

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर।

-: आदेश :-

जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक-569 दिनांक-07.06.2018 से प्राप्त कर्मियों के स्थानांतरण संबंधी संपन्न बैठक दिनांक-31.05.2018 के कडिका-07 में लिये गये निर्णयानुसार दिनांक-20.06.2018 को आयोजित स्थानांतरण-सह-पदस्थापन समिति की बैठक में लॉटरी के माध्यम से मनरेगा के तहत संविदा नियोजित वैसे कर्मी जिनका कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक हो चुका है, का स्थानांतरण समिति द्वारा किये गये अनुशांसा के आधार पर जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के आदेश दिनांक 23.06.2018 (संचिका संख्या-07-45/2018) के आलोक में निम्नलिखित कम्प्युटर ऑपरेटर का स्थानांतरण-सह-पदस्थापन किया जाता है :-

क्र0	कम्प्युटर ऑपरेटर का नाम	आई.डी. नं0	गृह प्रखंड/गृह जिला	पदस्थापित प्रखंड का नाम	स्थानांतरित किये जा रहे प्रखंड का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री जगरनाथ राम	336897	वैशाली	कटरा	पारु
2	श्री रंजन कुमार सिंह	328420	तरैया/सारण	सकरा	मीनापुर
3	श्री अखिलेश कु0 ठाकुर	307192	सिंहवारा/दरभंगा	कांटी	सरैया

1. सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि दिनांक 30.06.2018 के अपराहन से कम्प्युटर ऑपरेटरों को नवपदस्थापित प्रखंड में योगदान करने हेतु विरमित करते हुए प्रभार का आदान-प्रदान उसी दिन कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को यह भी आदेश दिया जाता है कि स्थानांतरित कम्प्युटर ऑपरेटरों का लंबित दायित्व/अंकेक्षण एवं अन्य सभी मामलों की स्पष्ट सूची एवं प्रतिवेदन तैयार कराकर प्रभार का आदान-प्रदान विरमित तिथि 30.06.2018 को ही कराना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा की स्थिति में किये गये एकरारनामा के आलोक में अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
3. सभी स्थानांतरित कर्मी विरमित उपरांत नवपदस्थापित प्रखंड में दिनांक-02.07.2018 के पूर्वाहन तक योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा की स्थिति में उनके द्वारा किये गये एकरारनामा के आलोक में कार्रवाई की जाएगी।
4. स्थानांतरित कम्प्युटर ऑपरेटरों का मानदेय राशि का भुगतान माह-जुलाई 2018 का नवपदस्थापित प्रखंड से किया जाएगा। साथ ही यह भी आदेश है कि स्थानांतरित कम्प्युटर ऑपरेटरों में वैसे कम्प्युटर ऑपरेटर जिनका किसी कारणवश अनाधिकृत अवकाश/पद त्याग या अनियमितता के कारण कार्य करने के लिए जिला में मामला लंबित हो तो उसकी पूर्ण सूची स्पष्ट मंतव्य प्रतिवेदन के साथ अविलंब जिला को भेजे, ताकि उस पर अग्रेतर कार्रवाई की सके। भविष्य में यदि कम्प्युटर ऑपरेटरों के संबंध में मामला संज्ञान में आती है तो दोषमुक्त एवं बिना कार्यरत रहते हुए उनका भी नये स्थान पर योगदान कराया गया है तो उसकी पूर्ण उत्तरदायी संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा पर होगी और उस पर व्ययगत राशि की वसूली एवं कार्रवाई संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी पर की जाएगी।
5. एच0आर0एम0एस0 के माध्यम से मानदेय भुगतान हेतु प्रत्येक माह के 5वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से कार्यालय में संधारित उपस्थिति पंजी के आधार पर टाईमशीट सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे एवं उसकी सूचना जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर को भी भेजना सुनिश्चित करेंगे।
6. कार्यक्रम पदाधिकारियों को यह भी निदेशित किया जाता है कि नव पदस्थापित कम्प्युटर ऑपरेटरों के स्थापना से संबंधित पदस्थापन पंजी, निजी संचिका एवं अन्य पंजी प्रखंड स्तर पर संधारित रखेंगे। जिसमें संबंधित कर्मी के संबंध में पूर्ण सूचना एवं जिला द्वारा निर्गत सूचना संधारित करेंगे।

ह० /-

उप विकास आयुक्त-सह-
अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक
मनरेगा, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक : 2072/ अभि0, मुज0 दिनांक-29 /06/2016

- प्रतिलिपि : सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : आयुक्त (तिरहुत प्रमण्डल) मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : श्री सरोज कुमार, ई0 गवर्नेन्स एवं आई0 डायरेक्टर, (एच0आर0एम0एस0) (बिहार रुरल डेवलपमेंट सोसाइटी), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, (मनरेगा) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश है कि अपने प्रखंड से संबंधित कम्प्युटर ऑपरेटरों को आदेश की प्रति अपने स्तर से तामिला कराते हुए योगदान कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., मुजफ्फरपुर को जिला के बेवसाइट पर प्रदर्शनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : आई.टी. प्रबंधक, मुजफ्फरपुर को मुजफ्फरपुर को जिला के बेवसाइट पर प्रदर्शनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : संबंधित कम्प्युटर ऑपरेटरों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/मनरेगा प्रभारी सहायक, पूर्वी/पश्चिमी/एम.आई.एस. ऑफिसर/जिला अंकेक्षण प्रबंधक/लेखापाल, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त-सह-
अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक
मनरेगा, मुजफ्फरपुर।